REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233535 CG-DL-E-17022022-233535

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
No. 691]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 710(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केंद्र सरकार एतदद्वारा नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754के और उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 525 के सामने विनिर्दिष्ट की गई संबंधित प्रविष्टियों का अनुसूची से लोप करती है।

> [फा.सं. एनएच-14012/5/2022-पी ऐंड एम] राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण :राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को, दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसके बाद इसमें अधिसूचना संख्या का. आ.92(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 710(E).—.In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits New National Highway No. 754K and the entries relating thereto specified against serial number 525 in the Schedule to the said Act from the Schedule.

[F. No. NH-14012/5/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 92 (E), dated 7th January, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 711(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 583 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
583	754ए	पंजाब राज्य में टिब्बा गांव (सुल्तानपुर लोधी) के निकट एनई 5ए के निकट अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर धर्मकोट, दयालपुरा, लेहरा मोहब्बत, कोट शमीर, संगत कलां (भटिंडा), हरियाणा
		राज्य में मंडी डबवाली, राजस्थान राज्य में सांगरिया, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लूनकरासर,
		बीकाने, जोधुपर, थोब, पचपादरा, बालोतरा, संचोर, थरड़, वाव, संतलपुर, गडकाबेट,
		मौवाना, धलोवीरा, खवाडा, ओडाम, हाजीपुर, गाधुली को जोड़ने वाला और गुजरात राज्य में
		लखपत पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। [<i>राजमार्ग पंजाब में संगत कलां (भटिंडा), हरियाणा में</i>
		मंडी डबवाली और राजस्थान में सांगरिया तक रारा-54 के ओवरलैप कर रहा है]

तालिका

[फा.सं. एनएच-14012/5/2022-पी ऐंड एम] राजेश गृप्ता, निदेशक **पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछलीबार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 92(अ), दिनांकित 7 जनवरी, 2022 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 583 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
583	754A	The highway starting from its junction with NE 5A near village Tiba (Sultanpur Lodhi) connecting Dharamkot, Dyalpura, Lehra Mohabat, Kot Shamir, Sangat Kalan (Bathinda) in the State of Punjab, Mandi Dabwali in the state of Haryana, Sangariya, Hanumangarh, Suratgarh, Loonkarasar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra, Sanchore in the state of Rajasthan, Tharad, Vav, Santalpur, Gadkabet, Mauvana, Dholavira, Khavada, Odama, Hajipur, Gadhuli and terminating at Lakhpat in the state of Gujarat. [The Highway is overlaping with NH-54 from Sangat Kalan (Bathinda) in the state of Punjab, Mandi Dabwali in the state of Haryana and upto Sangariya in the state of Rajasthan]

[F. No. NH-14012/5/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 92 (E), dated 7th January, 2022.